न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 10/2022 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2022/64

उनवान

1. श्रीमती राजेश्वरी देवी उम्र करीब 58 वर्ष पत्नि श्री दाऊदयाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी उम्मेदी नगर महाकाली रोड धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।
2. श्रीमती पूजा शर्मा पत्नि श्री धर्मेन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नंबर 14 हॉस्पीटल कॉलोनी राजाखेडा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट/प्रतिवादी ।

बनाम

1. श्रीमती हरभेजी उम्र करीब 69 वर्ष पुत्री स्व0 श्री वंशी पत्नि श्री भगवती प्रसाद जाति लोधा निवासी ग्राम सिंघावली धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।

..... प्रत्यर्थी/वादिया

2. मंगल सिंह
3. लाखन सिंह
4. विनय सिंह

} मंगल सिंह पुत्रगण दीवान सिंह जाति लोधा निवासी ग्राम तगावली धौलपुर।

..... प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण

5. श्रीमान् तहसीलदार धौलपुर वहैसियम लैण्ड होल्डर।

..... तरतीवी प्रत्यर्थी/प्रतिवादी

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी धौलपुर दि0 01.04.2022 प्र.सं. 15/21 उनवानी हरभेजी बनाम मंगल सिंह।

उपस्थित :–

1. श्री किशन सिंह त्यागी वकील अपीलांट।
2. श्री योगेश शर्मा वकील रैस्पो0।

निर्णय दिनांक–25.03.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.04.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने एक दावा अंतर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 05 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम दूं का पुरा तहसील व जिला धौलपुर के खातेदार काश्तकार होली थे। होली का पुत्र छिद्दू एवं छिददू का

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पुत्र वंशी था। जिसका निधन हो चुका है, जो वादी रैस्पो0 संख्या 01 के पूर्वज थे। विवादित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी पुश्तैनी सम्पत्ति है। जिसमें वादी रैस्पो0 संख्या 01 एवं प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 के खातेदारी अधिकार जन्म से निहित हैं। वादिया रैस्पो0 संख्या 01 का 1/3 भाग विवादित आराजी में है। वंशी पुत्र छिद्दू ने प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 के पक्ष में वसीयत निष्पादित कर दी थी। जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 188 खुला। तत्पश्चात् विवादित आराजी को प्रतिवादी अपीलाण्ट संख्या 01 व 02 को विक्रय कर दिया। अर्सा करीब 20 दिवस पूर्व प्रतिवादी एक राय होकर वादिया रैस्पो0 संख्या 01 को विवादित आराजी से बेदखल करने लगे, तब जाकर वादिया रैस्पो0 संख्या 01 को उक्त तथ्य की जानकारी प्राप्त हुयी। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में स्वयं को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं विवादित आराजी का बाई मीट्स बाउण्ड विभाजन किये जाने एवं प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.04.2022 से प्राथमिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि पैतृक सम्पत्ति में पुत्रियों को पुत्रो के समान अधिकार सन् 2005 से हैं पूर्व में नहीं थे। रैस्पो0 संख्या 01 के पिता तत्समय जीवित नहीं थे। रैस्पो0 संख्या 01 ने विवादित आराजी में अपने 1/3 हिस्से की घोषणा का दावा प्रस्तुत किया। जबकि रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 विवादित आराजी में से 1/3 भाग को अपीलांट के लिये विक्रय कर चुके हैं। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट की विधिवत तामील नहीं हुयी। अतः अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट की बैक पर एक पक्षीय रूप से पारित हुआ है। वंशी ने अपने सम्पूर्ण हिस्से की प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 को वसीयत कर दी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के 2/3 हिस्से को पुनः रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 को दे दिया। जबकि वह विवादित आराजी में से 1/3 हिस्सा पूर्व में ही अपीलाण्ट को विक्रय कर चुके थे एवं विवादित आराजी में 2/3 हिस्सा के लिये दावे में कोई अनुतोष ही नहीं था। अतः न्यायालय चाहे गये अनुतोष से ज्यादा नहीं दे सकती। अपीलाण्ट की तामील चस्पांदगी से हुयी है। जबकि न्यायालय से चस्पांदगी के कोई आदेश नहीं थे। रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 पर अन्य आराजी भी है परन्तु उक्त आराजी पर कोई दावा ही प्रस्तुत नहीं किया। वसीयत को राजस्व न्यायालय निरस्त नहीं कर सकती एवं ना ही अपीलाधीन आदेश में यह अंकित ही किया है। मियाद के संबंध में उनका कथन है कि क्योंकि अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय रूप से पारित हुआ है। अतः उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो पायी। जैसे ही जानकारी हुयी। जानकारी की दिनांक से अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2021(2) पेज 538, 2018 पेज 1422, 456, 2024(1) पेज 174, आरआरटी

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2015(1) पेज 79, 2016(1) पेज 11, 2021(1) पेज 312, 342, 2020(1) पेज 271, 2019(1) पेज 184, 2017(2) पेज 1104, 2016–17 पेज 619, एआईआर 2024 पेज 1283 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन ओदश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। वंशी ने रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 के पक्ष में वसीयत सन् 2013 में की। राजस्व न्यायालय को खातेदारी अधिकार घोषणा के एकान्तिक अधिकार हैं। तामील विधिवत हुयी है। वंशी ने वसीयत सन् 2013 में की है जबकि पैतृक सम्पत्ति में पुत्रियों को अधिकार सन् 2005 से ही प्राप्त हैं। तामील सिर्फ दावे में ही नहीं, स्थगन प्रार्थना पत्र में भी करायी है। उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय से खारिज होने एवं न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने पर, अपील में भी तामील करायी गयी है। अतः अपीलाण्ट को प्रकरण की पूर्ण रूपेण जानकारी थी। अतः अपील अपीलाण्ट स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है एवं मियाद के बिन्दू पर ही खारिज योग्य है। सजरा को अपीलाण्ट ने कही भी चुनौती नहीं दी है। रैस्पो0 को वसीयत निरस्त नहीं करानी है। रैस्पो0 को केवल विवादित आराजी में अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करानी है। सिर्फ यही सम्पत्ति पैतृक है इसलिये इसी आराजी पर दावा किया। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2024(2) पेज 1448, 905, 809, 2024(1) पेज 640, 2023(1) पेज 671, 2015(4) पेज 1438, 2023(2) पेज 1146, 1410, 2014(1) पेज 54, आरआरटी 2005(2) पेज 1350, 2005(1) पेज 235, 2020(1) पेज 425, 2020(2) पेज 998 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.04.2022 के विरूद्ध हस्तगत अपील न्यायालय हाजा में साधारण से विलम्ब 12 दिवस बाद प्रस्तुत की गयी है। मिंयाद के संबंध में अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश उनकी बैक पर चस्पांदगी से तामील होकर ,जानकारी के बिना पारित हुआ है। अतः उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो पायी। हमने मनन किया। हम पाते हैं कि मियाद जैसे बिन्दू पर न्यायालय को उदार दृष्टि अपनाते हुये, गुणावगुण पर निर्णय पारित करना ज्यादा उचित रहता है। वैसे भी अनेको न्यायिक दृष्टान्तो में मियाद जैसे बिन्दू पर उदार दृष्टि अपनाते हुये गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का मत प्रतिपादित किया है। अतः हम अपील प्रस्तुत करने में हुयी साधारण सी देरी को क्षमा करते हुये, अपील अपीलाण्ट जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित समझते हैं। गुणावगुण पर हम पाते हैं कि वादी रैस्पो0 संख्या 01 विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति बताते हुये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार उसमें अपने जन्म से ही 1/3 भाग की खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का दावा करती हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–5 नकल जमाबन्दी संवत 1968 के अनुसार विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 815 मिन पर होली बल्द भमनिया की खातेदारी में अंकित है एवं मिलान

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

क्षेत्रफल प्रदर्श–3 के अनुसार साविक खसरा नम्बर 815 मिन से हाल खसरा नम्बर 495 निर्मित हुआ है। प्रदर्श–4 नकल जमाबन्दी संवत 2028 के अनुसार विवादित आराजी पर वंशी पुत्र छिद्दू को खातेदार काश्तकार अंकित किया गया है। इस प्रकार विवादित आराजी पत्रावली पर उपलब्धा दस्तावेजी साक्ष्य से पैतृक आराजी होना सिद्ध है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 (9.09.2005 यथासंशोधित) सह–दायिकी सम्पत्ति में पुत्री के अधिकार चाहे वह 09.09.2005 के पूर्व जन्मी हो या बाद में, पुत्रो के ही समान ही पुत्री भी सहयादी है। अर्थात पुत्रो के समान अधिकार व दायित्व रखती है। विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2020(2) पेज 998 प्रकरण पर पूर्ण रूपेण चस्पा होता है। जहाँ तक विवादित आराजीयात की वसीयत करने का प्रश्न है। वादी रैस्पो0 संख्या 01 ने अपीलाधीन वाद में मुख्य अनुतोष पंजीकृत वसीयतनामा को निरस्त कराये जाने बाबत् नहीं, अपितु विवादित आराजी में अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा का प्रस्तुत किया है एवं यदि कोई व्यक्ति गलत इन्द्राजात के आधार पर अपने हिस्से से अधिक भूमि का हस्तांतरण/वसीयत कर देता है तो वह हस्तांतरण/वसीयत आरम्भ से ही शून्य व अवैध रहता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.04.2022 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीबानी)
Civil Procedure Code] AppendiÛ D&1)
अज अदालत भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर
व इजलास श्री सुनील आर्य (आर०ए०एस०)

अपील सख्याः– 10/2022 (223 आर० टी० एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2022/64

उनवान

1.श्रीमती राजेश्वरी देवी उम्र करीब 58 वर्ष पत्नि श्री दाउदयाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी उम्मेदी नगर महाकाली रोड धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।
2.श्रीमती पूजा शर्मा पत्नि श्री धर्मेन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नंबर 14 हॉस्पीटल कॉलोनी राजाखेड़ा तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट/प्रतिवादी।

बनाम

1.श्रीमती हरभेजी उम्र करीब 69 वर्ष पुत्री स्व0 श्री वंशी पत्नि श्री भगवती प्रसाद जाति लोधा निवासी ग्राम सिंघावली धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।

.....प्रत्यर्थी/वादिया

2. मंगल सिंह
3. लाखन सिंह
4. विनय सिंह

} मंगल सिंह पुत्रगण दीवान सिंह जाति लोधा निवासी ग्राम तगावली धौलपुर।

.....प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण

5. श्रीमान तहसीलदार धौलपुर वहैसियम लैण्ड होल्डर।

.....तरतीवी प्रत्यर्थी/प्रतिवादी

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 01.04.22 प्रकरण संख्या 145/98 उनवान हरभेजी बनाम मंगल सिंह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक **श्री किशन सिंह त्यागी** उपस्थित व रेस्पोडेंट अभिभाषक **श्री योगेश शर्मा** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.04.2022 के आदेश यथावत रखे जाते है। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **25** माह 03 सन् **2025** को जारी की गई।

मुहर

भू प्रबन्ध अधिकारी
औहदा पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जिदावा			स्टाम्प अर्जिदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वहज सबूत			स्टाम्प वहज सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		

भू प्रबन्ध अधिकारी
दस्तखत
पदनाम
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

मुहर